म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Governmernt of Madhya Pradesh

क्र.   दिनांक ....

क्रमांक 180/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/स्थापना/भोपाल   दिनांक 20/01/2021

//आदेश//

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथा संशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 8(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग की 164 वीं सभा दिनांक 23/12/2020 के एजेन्डा क्रमांक (164)–2 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम **मंगलायतन विश्वविद्यालय बरेला, जबलपुर** के मुख्य परिसर में स्थित शैक्षणिक विभागों में निम्नलिखित तालिका मे दर्शित पाठ्यक्रमो को उनके नाम के सम्मुख दर्शित सीट संख्या अनुसार शैक्षणिक सत्र 2020–21 से संचालन करने की अनुमति निम्न शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती है।

S.No	Course	Intake	Ordinance No.
1	B.Sc. (H) IT	180	67
2	M.Sc. IT	90	18
3	BBA	240	19
4	MBA	180	20
5	PGDBM (2 Year)	120	21
6	Diploma in Hospital Management	90	21
7	Diploma in Disaster Management	90	59
8	Diploma in Hotel Management & Catering Technology (DHMCT)	90	59
9	B.Com (H)	240	22
10	M.Com	120	23
11	BA (Economics, English, Sociology, Psychology, Political Science)	100	31
12	BA (H) (Economics, English, Sociology, Psychology, Political Science)	300	61
13	MA (Economics, English, Sociology, Psychology, Political Science)	300	32
14	B.Sc. (H) Agriculture	240	39
15	B.Sc. (H) Horticulture	120	62
16	B.Sc. (H) Forestry	120	63
17	M.Sc. Agriculture (Agronomy)	120	40
18	M.Sc. (Extension, Education & Community Development)	60	65
19	M.Sc. Horticulture	60	64
20	M.Sc. Agriculture	60	65
21	PG Diploma in Agriculture	240	60
22	Diploma in Agriculture Science	240	57

निरंतर.....2

मंगलायतन विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा सत्र 2020-21 से पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति

1. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं संबन्धित विनियामक परिषदों के मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
2. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबन्धित विनियामक परिषदों की गाईडलाईन के अनुसार दिये जायेगें।
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं संबंधित विनियामक परिषदों द्वारा निर्धारित की गई गाईडलाईन /मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
4. विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।
6. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक परिषदों से ग्रेडिंग/मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा।
7. यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संधारित करना होगा।
8. पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरिक्षण के दौरान किसी प्रकार की गंभीर न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।

नोट –

1. **बार काउंसिल आफ इंडिया से अनुमति प्राप्त होने पर विधि संकाय के पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने हेतु उपयोग के समक्ष निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन करना होगा।**
2. **पी.एच.डी. पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व विश्वविद्यालय को स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत करनी होगी कि किन विषयों में पी.एच.डी. पाठ्यक्रम का संचालन किया जाना प्रस्तावित है एवं यू.जी.सी. नियमानुसार विषयवार शोध हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाएं, प्रयोगशाला, पुस्तकें, शोधजर्नल्स, एवं अर्हताधारी शोधनिदेशक उपलब्ध है। विश्वविद्यालय द्वारा विषयवार पी.एच.डी. की अनुमति प्रदान करने के विषय में नियमानुसार विचार किया जा सकेगा।**

20/12/21

(डॉ. के.पी. साहू)
सचिव
म0प्र0नि0वि0वि0वि0आयोग, भोपाल

पृष्ठांकन_____/ म0प्र0नि0वि0वि0आयोग/स्थापना/ भोपाल

प्रतिलिपि–

1. कुलसचिव, **मंगलायतन विश्वविद्यालय, जबलपुर** (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
2. आयक्ष, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
3. प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी शुल्क नियामन प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
6. मूल नस्ती।

सचिव
म0प्र0नि0वि0वि0वि0आयोग, भोपाल

म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र. 880/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ.भोपाल/अकादमिक–1/2023 दिनांक 26/7/23

//आदेश//

आयोग के आदेश क्रमांक 120/म.प्र.नि.वि.वि.आयोग/स्थापना/भोपाल दिनांक20.01.2021, आदेश क्रमांक 1370/म.प्र.नि.वि.वि.आयोग/स्थापना/भोपाल दिनांक 26.07.2021 एवं आदेश क्रमांक 1536/म.प्र.नि.वि.वि. आयोग/स्थापना/भोपाल दिनांक 07.09.2021 के द्वारा मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 धारा 9 (ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति स्वीकृत सीट संख्या के साथ प्रदान की गई थी।

मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 धारा 9 (ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत मंगलायतन विश्वविद्यालय, जबलपुर के मुख्य परिसर में स्थित शैक्षणिक विभागों में पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों में प्रस्तावित सीट संख्या को कम कर, सत्र 2023–24 से संचालित करने हेतु उपरोक्त सीटों को उनके नाम के सम्मुख स्वीकृति प्रदान करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में स्वीकृत सीट संख्या में कमी करने संबंधी आवेदन को मान्य करते हुये निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित सीट संख्या अनुसार आगामी शैक्षणिक सत्र 2023–24 से संचालन करने की अनुमति निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है।

Sr. No	Name of Course	Ordinance No.	Curreant Intake	Modification Intake	Proposed Intake
1	B.Sc. (H) IT	**67**	180	-120	**60**
2	M.Sc. IT	**18**	90	-50	**40**
3	BBA	**19**	240	0	**240**
4	MBA	**20**	180	0	**180**
5	PGDBM (2 Years)	**21**	120	-120	**0**
6	Diploma in Hospital Management	**59**	90	-90	**0**
7	Diploma in Disaster Management	**59**	90	-90	**0**
8	Diploma in Hotel Management & Catering Technology (DHMCT)	**24**	90	-90	**0**
9	B.Com. (H)	**22**	240	-120	**120**
10	M.Com.	**23**	120	-60	**60**
11	BA (Economics, English, Sociology, Psychology, Political Science)	**31**	100	0	**100**
12	BA (H) (Economics, English, Sociology, Psychology, Political Science)	**61**	300	0	**300**
13	MA (Economics, English, Sociology, Psychology, Political Science)	**32**	300	0	**300**
14	B.Sc. (H) Agriculture	**39**	240	0	**240**
15	B.Sc. (H) Horticulture	**62**	120	0	**120**
16	B.Sc. (H) Forestry	**63**	120	0	**120**
17	M.Sc. Agriculture (Agronomy)	**40**	120	-120	**0**

निरंतर...2

Sr. No	Name of Course	Ordinance No.	Curreant Intake	Modification Intake	Proposed Intake
18	M.Sc. (Extension, Education & Community Development)	**40**	60	-60	**0**
19	M.Sc. Horticulture	**64**	60	-40	**20**
20	M.Sc. Agriculture	**40**	60	-20	**40**
21	PG Diploma in Agriculture	**60**	240	-240	**0**
22	Diploma in Agriculture Science	**57**	240	-180	**60**
1	Bachelor of Computer Applications (BCA)	**16**	40	0	**40**
2	Master of Computer Applications (MCA)	**17**	40	0	**40**
3	Master of Computer Applications- Lateral Entry (MCA-LE)	**17**	40	-40	**0**
4	M.Sc. Agriculture (Agricultural Economics)	**40**	20	-20	**0**
5	M.Sc. Agriculture (Agribusiness)	**40**	20	-20	**0**
6	M.Sc. Agriculture (Entomology)	**40**	20	-20	**0**
7	M.Sc. Agriculture (Genetics & Plant Breeding)	**40**	20	-20	**0**
8	M.Sc. Agriculture (Agriculture Microbiology)	**40**	20	-20	**0**
9	M.Sc. Agriculture (Soil Science and Agriculture Chemistry)	**40**	20	-20	**0**
10	M.Sc. Agriculture (Plant Pathology)	**40**	20	-20	**0**
11	M.Sc. Ag. (Horticulture- Fuit Science)	**64**	20	-20	**0**
12	M.Sc. Ag. (Horticulture- Floriculture)	**64**	20	-20	**0**
13	M.Sc. Ag. (Horticulture-Vegetable Science)	**64**	20	-20	**0**
14	M.Sc. Forestry (Agro-forestry)	**65**	20	-10	**10**
15	M.Sc. Forestry (Medicinal and Aromatic Technology)	**65**	20	-10	**10**
16	M.Sc. Forestry (Mushroom Technology)	**65**	20	-10	**10**
1	B.A.LL.B.(H)	**29**	120	0	**120**
2	B.Com.LL.B. (H)	**29**	120	0	**120**
3	LL.B. (H)	**28**	120	0	**120**
4	LL.M.(Academic)	**66**	120	0	**120**
1	B.Sc. Forensic Science	**15**	120	0	**120**
2	M.Sc. Forensic Science	**18**	20	0	**20**
3	LL.M.(Professional) 1 Year	**30**	120	0	**120**
Total Intake		All Intake	**4520**	**-1670**	**2850**

शर्त :-

1. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं संबन्धित विनियामक परिषदों के मापण्डों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।

निरंतर..3

2. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबन्धित विनियामक परिषदों की गाईडलाईन एवं अनुमति के अनुसार दिये जायेगें।
3. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं संबन्धित विनियामक परिषदों के मापण्डडों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
4. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबन्धित विनियामक परिषदों की गाईडलाईन एवं अनुमति के अनुसार दिये जायेगें।
5. यू.जी.सी. के द्वारा निर्धारित मार्ग दर्शिका के अनुसार सीट संख्या के अनुपात में पर्याप्त संख्या में अर्हताधारी शिक्षकों की नियुक्ति की जाना सुनिश्चित किया जाए एवं नियुक्त शिक्षकों का सम्पूर्ण विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाईट एवं आयोग के पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाईड लाईन/मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
7. विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
8. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नैक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।
9. यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संधारित करना होगा।
10. पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की गंभीरन्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।

(मा. अध्यक्ष महो. द्वारा अनुमोदित)

26/4/2023

(डॉ. के.पी. साहू)
सचिव
म0प्र0नि0वि0वि0वि0आयोग, भोपाल

पृष्ठांकन_____/ म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ.भोपाल/अकादमिक-1/2023 दिनांक /04/2022

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक के माध्यम से मा. अध्यक्ष महो. म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग को सूचनार्थ।
2. कुलसचिव, मंगलायतन विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)।
3. प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी शुल्कनियतन प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
6. मूलनस्ती।

/
सचिव
म0प्र0नि0वि0वि0वि0आयोग, भोपाल